न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 145/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल सिंह।
2 भवानी पुत्र शिशपाल सिंह जाति जाट निवासी आदर्श नगर तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरलाल सिंह पुत्र गणपत ।
2 मृतक शिशपाल सिंह पुत्र गणपत।
2/1 सुरेश पुत्र शिशपाल।
2/2 रामप्यारी स्त्री शिशपाल।
2/3 बिमला स्त्री भवानी समस्त जाति जाट निवासी आदर्श नगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

रेस्पोंडेन्ट

अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 01.05.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी हरलालसिंह बनाम शिशपाल सिंह मु0 नं. 146/2014 दावा बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—24.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा वाद संख्या 146/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 842/1 ग्राम आदर्श नगर तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी के सन्दर्भ में बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्व प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में शिशपाल की फर्जी तामील एवं अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलांट व उसके पिता को सुनवाई का अवसर नही मिला। खसरा नम्बर 842 पर हरलाल का कब्जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन भू-प्रबन्ध अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

काश्त नही रहा खसरा नम्बर 842 आपसी बंटवारे में शिशपाल को मिली है विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नही किया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 की आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। धारा 5 का आवेदन एवं मूल अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट की तामील पर्याप्त कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट के कथन मिथ्या है दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रमाणित नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट की पर्याप्त तामील हुई है। इनकी और से जरिये वकिल उपस्थिति हुई है जवाब दावा पेश किया गया है तनकीयात कायम की गई है। वादी के साक्ष्य प्राप्त की गई है प्रतिवादी को सामान्य एवं कोस्ट पर साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी के वकील के निवेदन पर प्रतिवादी के साक्ष्य बंद किये गये है। तदुपरान्त विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई गुणावगुण पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर